न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 15/2015

दायर दिनांकः 13.05.2015

निर्णय दिनांक 28.11.2025

–: अनवान :–

1. श्रीमती मीरा देवी पुत्री भान सिंह पत्नि नाथु सिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद (राज.) हाल निवासी सांगरवास, माता का थान (सुरडिया) तहसील ब्यावर जिला अजमेर
2. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री भान सिंह पत्नि गुलाब सिंह जाति रावत निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद हाल निवासी बोर तलाई (ताल) तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता निम्बसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया, तहसील भीम जिला राजसमंद
2. नारायणसिंह पिता हजारी सिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद
3. लुम्बसिंह पिता हजारी सिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद
4. हिरासिंह पिता हजारी सिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया, तहसील भीम जिला राजसमंद
5. लक्ष्मणसिंह पिता हालसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
6. चिमनसिंह पिता देवीसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द के बजाय

   6/1 विजयसिंह पिता चिमनसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

   6/2 मनोहरसिंह पिता चिमनसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

   6/3 कुशालसिंह पिता चिमनसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

6/4 उगमी पत्नि चिमनसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

7. बाबुसिंह पिता देवीसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
8. हरिसिंह पिता देवीसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द के बजाय

8/1 प्रहलादसिंह पिता हरिसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

8/2 टीना पुत्री हरिसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

8/3 सोहनी पुत्री हरिसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

8/4. श्रीमती सुशीला पुत्री हरि सिंह जी रावत आयु बालिग निवासी कधारिया तहसील भीम जिला राजसमंद

8/5. श्रीमती काली पुत्री हरि सिंह जी रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद

9. श्रीमती पानी देवी पत्नी देवी सिंह जी रावत आयु वयस्क निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमंद

– रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 11 दिनांक 26.11.2001 द्वारा तहसीलदार साहब भीम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 09 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यावाही)
3– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 11 दिनांक 26.11.2001 द्वारा तहसीलदार साहब भीम पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री भाना पिता फता रावत निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद का स्वर्गवास दिनांक 06.10.1992 को हुआ। अपिलान्ट के पिता में मृत्यु के उपरान्त हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनकी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

वारिस दो पुत्रियॉ अपिलान्ट है। इसके अलावा इनके पिता का कोई वारिस नही है। अपिलान्ट शादीसुदा होकर अपने ससुराल में रहती है तथा अपने पीहर खेती बाड़ी अपने पिता की जमीन जायदाद देखने के लिये आती–जाती रही है। अपीलान्ट को आज से दो चार रोज पहले किसी ने बताया कि आपके पिताजी की जमीन दुसरो के नाम चली गई है। तब अपीलान्ट ने रिकार्ड से पता लगाया तो उन्हे मालुम हुआ कि उनके पिता की जमीन रेस्पोडेन्टगण के खाते दर्ज हो गई है। उक्त नामान्तरण कर श्रीमान तहसीलदार ने गलत पारीत किया है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण कर जमीन पारीत करते समय नोटिस नही दिया गया है तथा अपिलान्ट अक्सर ससुराल में रही है जिससे उनके उक्त नामान्तरण पारीत होने की जानकारी नही रही है बिना सूचना दिये जो नामान्तरण पारीत किया गया है और वो अपने आप में अवैध होकर प्रभाव शुन्य (Void) है। जिससे उक्त अवैध नामान्तरणकरण की अपील करने पर मियाद कानून लागु नही होता है। किन्तु अपीलान्ट मियाद माफी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत कर रही है। उक्त नामान्तरणकरण दिनांक 26.11.2001 काबिज निरस्त है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 11 सन् 2001 निरस्त फरमाई जाकर उसके स्थान पर रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज फरमायी जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 अनुपस्थित। उनके अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 31.10.2025 को एकपक्षीय कार्यावाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री भान पिता फता रावत निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद का स्वर्गवास दिनांक 06.10.1992 को हुआ। अपिलान्ट के पिता में मृत्यु के उपरान्त हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनकी वारिस दो पुत्रियॉ अपिलान्ट है। इसके अलावा इनके पिता का कोई वारिस नही है। उनके पिता की जमीन रेस्पोडेन्टगण के खाते दर्ज हो गई है। उक्त नामान्तरण कर श्रीमान तहसीलदार ने गलत पारीत किया है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण पारीत करते समय नोटिस नही दिया गया है। बिना सूचना दिये जो नामान्तरण पारीत किया गया है और वो अपने आप में अवैध होकर प्रभाव शुन्य (Void) है। नामान्तरणकरण दिनांक 26.11.2001 काबिल निरस्त है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 11 सन् 2001 को अपास्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि तहसीलदार, भीम द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश विधिसम्मत है। क्योकि तत्समय यह प्रचलन था कि पुत्रीयों का नाम कृषि भूमियों में नही लिखा जाता था। इसीलिए यह नामातरकरण खोला गया। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट संख्या 01 व 02 भान जी की पुत्रियॉ है। श्री भानसिंह जी की मृत्यु पर उनकी कृषि भूमि का विरासत से नामान्तरण संख्या 11 तहसीलदार भीम द्वारा दिनांक 26.11.2001 को स्वीकृत किया गया। यह नामान्तरण मृतक की पुत्रीयों के नाम पर नही चढाया जाकर द्वितीय अनुसुची के वारिसानो के नाम पर चढा दिया गया हैं। क्योकि मृतक के पुत्र नही थें। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार कोई भी सम्पत्ति जिसकी वसीयत नही की गई हो तो मृतक के प्रथम अनुसुची के जो भी वारिसान हैं। उन सबका बराबर हिस्सा होता हैं। प्रथम अनुसुची के वारिसान नही होने पर द्वितीय अनुसुची के वारिसानो के नाम पर सम्पति का हस्तानान्तरण किया जाता हैं। परन्तु इस प्रकरण में प्रथम अनुसुची की जायन्दा पुत्रीयॉ जो कि अपीलान्ट हैं। उनके नाम नही किया जाकर द्वितीय अनुसुची के वारिसानो के नाम पर किया गया हैं। जो नियम विरूद्ध हैं। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता पेरोकार सरकार का यह कथन है कि उस समय यह प्रचलन था कि पुत्रीयों का नाम कृषि भूमियों में नही लिखा जाता था। इसीलिए यह नामातरकरण खोला गया। परन्तु राजकीय अधिवक्ता का यह कथन कानूनी रूप से मान्य नही हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा स्वीकृत विवादित नामान्तरकरण संख्या 11 को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 11, दिनांक 26.11.2001 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक श्री भानसिंह के प्रथम अनुसुची के वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरण फैसल करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद